



REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARATPURI, UJJAIN

E-mail-romppcb_ujjain@yahoo.co.in, Phone -0734-2510984

S. No. 981

✓PCB/RO/2024.

Ujjain, Date 08/07/24

To,


Smt. Parul Bhadoriya,
Advocate, Hon'ble N.G.T. (CZ)
Bhopal (M.P.)

Sub: Hon'ble NGT Original Application No. 66/2024 "Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Others".

---000---

Please find enclosed Joint Committee Factual & Action Taken Report in the Matter of Original Application No. 66/2024 "Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Others" against Hon'ble NGT Central Bench Bhopal order dated 02 May 2024. The next hearing of case is scheduled on date 09 July 2024.

Encl:- As above


(H. K. Tiwari)
Regional Officer

Joint Committee Factual and Action Taken Report

Submitted in Reference to

**Hon'ble National Green Tribunal (NGT),
Central Bench, Bhopal
Order dated 02.05.2024**

In the Matter of

Original Application No. 66/2024 (CZ)

Prabhat Mohan Pandey

Vs

Union of India & Ors.

Member of the Committee: -

- 1. Shri Rajesh Mishra, Executive Engineer, SEIAA, Bhopal (M.P.).**
- 2. Dr. Rubina Choudhary, Member, MPSEAC, Bhopal (M.P.).**
- 3. Dr. Yogendra Kumar Saxena, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal (M.P.).**
- 4. Shri H.K. Tiwari, Regional Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Regional Office, Ujjain (M. P.).**

Joint Inspection Report
O.A. 66/2024(CZ)
INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Joint Committee Inspection Report	3-41
2.	Copy of Hon'ble NGT Order 02.05.2024	Annexure – 1 42
3.	Nomination of officials from concerning departments	Annexure - 2 43-46
4.	Copy of letter to complainant and attendance sheet of the participants on the day of joint inspection	Annexure – 3 47-48
5.	Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022.	Annexure – 4 49
6.	Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024	Annexure – 5 50-55
7.	SEAC MoM 754-A Dated 19/05/2024.	Annexure – 6 56-125
8.	Public hearing has been held for Environment Clearence (EC) of 12 mines	Annexure – 7 126-127
9.	Information regarding sand mines in Harda district provided by Mineral Officer, District Harda	Annexure – 8 128

Factual and Action Taken Report of the Joint Committee
constituted by Hon'ble NGT (CZ) in the matter of Original
Application No. 66/2024 (CZ) vide order dated 02-05-2024;
Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Ors.

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 66/2024 vide its order dated 02-05-2024 issued following instruction in the matter of "Prabhat Mohan Pandey Vs Union of India & Ors." directed under para 1as:-

- 1. Learned counsel for applicant Mr. Rohit Sharma has submitted that another application i.e. original application no. 66/2024 is also pending on the same point of issues. A committee was constructed in O.A. No. 50/2024 listed today i.e. 02.05.2024 as mentioned in para 5 is directed to examine the matter relating to O.A. No. 66/2024 and to submit the report. The present original application is also be listed on 09.07.2024 with O.A. No. 66/2024. (Copy of Order 02.05.2024 is enclosed as **Annexure-1**)*

Accordingly, in compliance of the order of Hon'ble NGT dated 02.05.2024, a joint committee comprising of following officials from concerned departments has been constituted, the details of which are as under:(Copy of nomination letters are enclosed as **Annexure-2**)

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One Representative from the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA)	Shri Rajesh Mishra Executive Engineer SEIAA Bhopal (Madhya Pradesh).
2.	One Representative from the MPSEAC	Dr. Rubina Choudhary Member, MPSEAC Bhopal (Madhya Pradesh).

3.	One Representative from the Central Pollution Control Board.	Dr. Yogendra Kumar Saxena Scientist 'C' Central Pollution Control Board, Regional Directorate Bhopal, Madhya Pradesh
4.	One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Shri H.K. Tiwari Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board Regional Office, Ujjain (Madhya Pradesh).

Regional office MPPCB Ujjain informed the complainant of this joint visit vide letter No. 805/प्रनिबो/ छेकारु/2024 dated 18 .06 .2024 by E-mail & Phone Call. But the complainant was not present during the date of visit. Copy of letter by MPPCB and Attendance sheet is attached as Annexure-3.

MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with the concerned department and fixing the date of site visit. The committee visited the site on dated 21.06.2024 and 22.06.2024.



This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visits: -

A. Factual OBSERVATIONS OF SAND MINES: -

Joint Committee inspected 16 sand mines of Harda district from 21.06.2024 to 22.06.2024.

The inspection report of each sand mining is as follows :-

(01) Sand Mine- Mohanpura

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Manoharpura	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	10.000 Hec.	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'39.65"N	77°02'26.63"E
	B 22°29'48.82"N	77°02'52.17"E
	C 22°29'45.33"N	77°02'53.53"E
	D 22°29'35.16"N	77°02'27.94"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	60000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation Committee of	Approximately 80% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Mohanpura



Site Photograph During Visit



(02) Sand Mine- Khedineema- A

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Khedineema-A	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1	
Lease Area (Hectare)	13.000 Hec.	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'39.40"N	77°01'43.80"E
	B 22°29'40.35"N	77°02'04.01"E
	C 22°29'33.21"N	77°02'06.92"E
	D 22°29'32.26"N	77°01'44.88"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M3/year)	39000	
MPSEIAA to grant EC	ToR transfer Granted By SEIAA. Not applied in Parivesh for EC. Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022. Annexure - 4.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Khedineema- A




Site Photograph During Visit



(03) Sand Mine- Khedineema- B

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Khedineema-B	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1	
Lease Area (Hectare)	14.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'40.35"N	77°02'04.01"E
	B 22°29'40.72"N	77°02'25.60"E
	C 22°29'35.58"N	77°02'28.11"E
	D 22°29'33.21"N	77°02'06.92"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M3/year)	42000	
MPSEIAA to grant EC	ToR transfer Granted By SEIAA. P.P.Not applied in Parivesh for EC. Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022. Annexure - 4.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Khedineema- B




Site Photograph During Visit



(04) Sand Mine- Aajnai

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Aajnai	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	8.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°30'17.12"N	77°04'29.66"E
	B 22°30'20.35"N	77°04'28.25"E
	C 22°30'26.99"N	77°04'47.53"E
	D 22°30'23.44"N	77°04'49.20"E
	E 22°30'18.72"N	77°04'40.89"E
	F 22°30'17.33"N	77°04'36.38"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	48000	
MPSEIAA to grant EC	EC not granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024 Annexure - 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Aajnai




Site Photograph During Visit




(05) Sand Mine- Malpone

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Malpone	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	6.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'24.08"N	77°56'37.85"E
	B 22°29'24.22"N	77°56'51.72"E
	C 22°29'19.16"N	77°56'51.70"E
D 22°29'19.16"N	76°57'38.07"E	
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	36000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024. Annexure-5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Malpone




Site Photograph During Visit



(06) Sand Mine- Uchan

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Uchan	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	22.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°27'25.10"N	76°51'46.97"E
	B 22°27'42.94"N	76°52'11.54"E
	C 22°27'38.51"N	76°52'16.42"E
	D 22°27'18.43"N	76°51'52.31"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	66000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024 Annexure - 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Uchan



Site Photograph During Visit



(07) Sand Mine- Sigon

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Sigon	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	70/1, 70/4	
Lease Area (Hectare)	21.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°28'55.20"N	76°54'15.28"E
	B 22°29'09.83"N	76°54'57.75"E
	C 22°29'05.63"N	76°54'59.54"E
	D 22°28'50.40"N	76°54'17.20"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	63000	
MPSEIAA to grant EC	ToR transfer Granted By SEIAA. Not applied in Parivesh for EC. Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022. Annexure - 4.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 90 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Sigon



1:5,000

S.No-2	Latitude	Longitude
1	22° 28' 55.200" N	76° 54' 15.280" E
2	22° 29' 9.830" N	76° 54' 57.750" E
3	22° 29' 6.221" N	76° 54' 59.499" E
4	22° 28' 50.400" N	76° 54' 17.200" E

LOCATION OF LEASE AREA ON SATELLITE IMAGE

7. Sigon Sand Quarry

River Name: Narmada
 Area: 21 Hectare
 Survey No: 7011, 7014
 Village: Sigon
 Tehsil: Hardiya
 District: Harda
 State: Madhya Pradesh


Site Photograph During Visit



(08) Sand Mine- Goyat

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Goyat	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	8.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°30'43.63"N	77°05'21.24"E
	B 22°30'46.65"N	77°05'18.87"E
	C 22°31'01.05"N	77°05'35.80"E
	D 22°30'57.30"N	77°05'38.20"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	48000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024, Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 75 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Goyat




Site Photograph During Visit



(09) Sand Mine- Chidgonmail

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Ganjal	
Village	Chidgonmail	
Tehsil	Timarni	
District	Harda	
Survey Number	62	
Lease Area (Hectare)	7.810	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°24'44.19"N	77°18'02.22"E
	B 22°24'46.12"N	77°18'04.72"E
	C 22°24'23.01"N	77°18'30.53"E
	D 22°24'21.31"N	77°18'29.17"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	23430	
MPSEIAA to grant EC	ToR transfer Granted By SEIAA. Not applied in Parivesh for EC. Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022. Annexure - 4.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 20 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 nd June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Chidgonmail




Site Photograph During Visit




(10) Sand Mine- Golamalgujari- A

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Golamalgujari- A	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1,2,3,4,5,6 to 47	
Lease Area (Hectare)	8.000 Hec.	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'10.73"N	76°54'58.55"E
	B 22°29'15.13"N	76°55'22.18"E
	C 22°29'11.90"N	76°55'23.47"E
	D 22°29'06.52"N	76°55'00.21"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M3/year)	72000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024. Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Golamalgujari- A



Site Photograph During Visit



(11) Sand Mine- Chhipaner

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Chhipaner	
Tehsil	Timarni	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	15.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°34'39.12"N	77°09'28.09"E
	B 22°34'40.26"N	77°09'49.30"E
	C 22°34'34.14"N	77°09'50.48"E
	D 22°34'29.09"N	77°09'30.50"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	180000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024. Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 60 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 nd June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Chhipaner




Site Photograph During Visit



(12) Sand Mine- Surjana

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Surjana	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	20.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°30'00.43"N	77°03'28.93"E
	B 22°30'06.63"N	77°03'26.62"E
	C 22°30'17.35"N	77°04'00.08"E
	D 22°30'11.14"N	77°04'01.82"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	60000	
MPSEIAA to grant EC	ToR transfer Granted By SEIAA. Not applied in Parivesh for EC. Minutes of Meeting 750, SEIAA Dated 13-10-2022. Annexure - 4.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Surjana




Site Photograph During Visit



(13) Sand Mine- Lachora

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Lachora	
Tehsil	Timarni	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	10.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°33'12.11"N	77°07'45.02"E
	B 22°33'22.32"N	77°08'05.78"E
	C 22°33'17.95"N	77°08'08.29"E
	D 22°33'07.85"N	77°07'47.20"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	30000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024. Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	NO	
New EC transferred by MPSEIAA on	NO	
Consent Granted by MPPCB and validity	NO	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	NO	
Observation of Committee	Approximately 60 % Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 nd June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Lachora




Site Photograph During Visit



(14) Sand Mine- Golamalgujari- B

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Golamalgujari- B	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1,2,3,4,5,6 to 47	
Lease Area (Hectare)	6.000 Hec.	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'28.84"N	76°56'24.79"E
	B 22°29'29.39"N	76°56'35.55"E
	C 22°29'23.67"N	76°56'35.69"E
	D 22°29'21.98"N	76°56'25.11"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M3/year)	36000	
MPSEIAA to grant EC	ADS raised by SEAC in meeting 754-A dated 19/05/2024, Case Shall be appraised after the final directions of Hon'ble NGT on the matter of OA 66/2024 & 55/2024. SEAC MoM 754 A Dated 19/05/2024. Annexure-6.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 100% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Golamalgujari- B



Site Photograph During Visit




(15) Sand Mine- Pachora

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Pachora	
Tehsil	Timarni	
District	Harda	
Survey Number	1	
Lease Area (Hectare)	15.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°33'37.88"N	77°08'22.18"E
	B 22°34'02.21"N	77°08'43.78"E
	C 22°33'58.57"N	77°08'46.90"E
	D 22°33'34.12"N	77°08'26.83"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hils Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	45000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024 Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 70% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	22 nd June 2024	

(16) Sand Mine- Handiya

Title of details	Description	
State	M.P.	
Name of River	Narmada	
Village	Handiya	
Tehsil	Handiya	
District	Harda	
Survey Number	1/1	
Lease Area (Hectare)	20.000	
GPS co-ordinates	Latitude	Longitude
	A 22°29'22.91"N	76°58'48.19"E
	B 22°29'28.21"N	76°59'22.76"E
	C 22°29'21.67"N	76°59'22.95"E
	D 22°29'17.35"N	76°58'49.24"E
Contractor	The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited	
Address	Paryawas Bhawan Block "A" Second Floor Jail Road Arera Hills Bhopal	
Sanctioned Mining Method as per approved Mining Plan	Open Cast Manual	
Mining Plan Approved on	22/06/2023	
Sanctioned Production Capacity (M ³ /year)	60000	
MPSEIAA to grant EC	EC not Granted in light of OA 66/2024 & 50/2024. Case Sent to SEAC for re-examine. Minutes of Meeting 854-A, SEIAA Dated 27-05-2024. Annexure- 5.	
Old EC transferred by MPSEIAA on	No	
New EC transferred by MPSEIAA on	No	
Consent Granted by MPPCB and validity	No	
Consent issued for storage by MPPCB and Validity	No	
Observation of Committee	Approximately 40% Submerged in the River	
Date of Visit of Committee	21 st June 2024	

Imagery of Site Sand Mine- Handiya



Site Photograph During Visit



B. FACTUAL OBSERVATIONS OF INSPECTION: -

- (i) 16 sand mines were inspected between 21/06/2024 and 22/06/2024. Out of 16 sand mines, 8 sand mines were found approximately 100% submerged, two sand mines were found approximately 60% submerged, one sand mine was found approximately 80% submerged, one Sand Mine was found to be approximately 90% submerged, one Send Mine was found to be approximately 75% submerged, one Send Mine was found to be approximately 20% submerged, one Send Mine was found to be approximately 70% submerged and one Send Mine was found to be approximately 40% submerged.
- (ii) All 16 sand mines have not been given environmental clearance (EC) by MPSEIAA.
- (iii) All 16 sand mines have not been given Consent to Operate (CTO) by the State Pollution Control Board.
- (iv) According to the information of Madhya Pradesh Pollution Control Board, Mandideep, public hearing has been held for Environment Clearance (EC) of 12 mines (**Annexure - 7**) and the proceedings are under process in SEIAA Bhopal.
- (v) Information regarding sand mines in Harda district provided by Asst. Mining Officer, District Harda is enclosed in **Annexure – 8**.

C. ACTION TAKEN: -

District Harda MPSMC Sand Mining Action Taken by M.P. SEIAA

S.No	Propo sal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recom mendati on	SEIAA Meeting	Decision /Remark
1.	SIA/MP /MIN/47 3120/20 24	Case No P2/187/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - MANOHARPURA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19- 05-2024 (Annexed as 5)	EC Recom mended	854-A SEIAA Dated 27- 05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ ए(66/2024 एवं ओ ए(55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनःपरीक्षण हेतु SEAC को अग्रपिहित किया जाये।
2.	Nil	Khedineema-A				ToR Transfer Granted by SEIAA

S.No	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision /Remark
						as per policy decision of 750 meeting dated 13-10-22. Proposal not applied in Parivesh Portal for EIA
3.	Nil	Khedineema-B				ToR Transfer Granted by SEIAA as per policy decision of 750 meeting dated 13-10-22. Proposal not applied in Parivesh Portal for EIA
4.	SIA/MP/MIN/47/3099/2024	Case No P2/186/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - AAJNAI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल केओ(ए/ 66/2024 एवं ओ ए/ 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ९ में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
5.	SIA/MP/MIN/47/3117/2024	Case No P2/193/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - MALPONE, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ(ए/ 66/2024 एवं ओ(ए/ 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ९ में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनःपरीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
6.	SIA/MP/MIN/47/3124/2024	Case No P2/192/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - Uchan, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 66000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ (ए/ 66/2024 एवं ओ (ए/ 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डियाव अन्य९ में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनःपरीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

S.No	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision /Remark
7.	Nil	Sigon				ToR Transfer Granted by SEIAA as per policy decision of 750 meeting dated 13-10-22. Proposal not applied in Parivesh Portal for EIA
8.	SIA/MP/MIN/473108/2024	Case No P2/185/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.-1_1 in Village - GOYAT, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ (ए/ 66/2024 एवं ओ(ए/ 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ९ में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
9.	Nil	Chidgoanmail				ToR Transfer Granted by SEIAA as per policy decision of 750 meeting dated 13-10-22. Proposal not applied in Parivesh Portal for EIA
10	SIA/MP/MIN/473110/2024	Case No P2/195/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1_1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI-A, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	-----माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपालकेओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।---
11	SIA/MP/MIN/47	Case No P2/191/24 Prior Environment	754-A SEAC Dated 19-05-	EC Recomme	854-A SEIAA	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ)

S.No	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision /Remark
	3100/2024	Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.-1_1 in Village - CHHIPANER, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum	2024	ended	Dated 27-05-2024	भोपाल के ओ(ए) 66/2024 एवं ओ (ए) 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनःपरीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
12	Nil	Surjana				ToR Transfer Granted by SEIAA as per policy decision of 750 meeting dated 13-10-22. Proposal not applied in Parivesh Portal for EIA
13	SIA/MP/MIN/47/3114/2024	Case No P2/190/24 KAILASH PANDEY,M/s The MP State Mining Corporation Limited, ParyawasBhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - LACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ ए 66/2024 एवं ओ ए 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनःपरीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
14	SIA/MP/MIN/47/3116/2024	Case No P2/194/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 1_1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI-B, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	ADS raised by SEAC		Case shall be appraised only after the final directions of Hon'bl Tribunal on the matter.
15	SIA/MP/MIN/47	Case No P2/189/24 KAILASH	754-A SEAC	EC	854-Aमाननीय राष्ट्रीय अधिकरण

S.No	Proposal No.	Case no. and title	SEAC Meeting	Recommendation	SEIAA Meeting	Decision /Remark
	3122/2024	PANDEY,M/s Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - PACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum	Dated 19-05-2024	Recommended	SEIAA Dated 27-05-2024	कु CZ) भोपाल के ओ ए 66/2024 एवं ओ ए(55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनः परीक्षणहेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।
16	SIA/M P/MIN/473111/2024	Case No P2/188/24 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - HANDIYA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum	754-A SEAC Dated 19-05-2024	EC Recommended	854-A SEIAA Dated 27-05-2024	माननीय राष्ट्रीय अधिकरण, CZ) भोपाल के ओ ए 66/2024 एवं ओ ए(55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरणपुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

D. Recommendations: -


1. The mining department (The State Mining Corporation) should conduct survey for identification of new sand mines and identify new sites as per potential/availability of sand and declared new sand mines as per rules.
2. The EIA study Report shall have to be prepared by the State Mining Corporation in such a way that it should not only contains the Water and Air Quality monitoring data's of one year of all seasons but should also contains the details of submerging area of all sand mine individually for all seasons of the year i.e. may be excluded for Rainy season.
3. The calculation of submergence part of sand mine area and physically verification/ Inspection shall be done by the State Mining Corporation & Mining Officer, thereafter the TOR shall be issued by SEAC for further process i.e. Public Hearing etc.

4. Record of depth of River shall have to be kept by Mining Department for all sand mines area which is considered for EC and further tendering process.


Dr. Rubina Choudhary
Member, MPSEAC
Bhopal (Madhya Pradesh).
8.7.2024


Shri Rajesh Mishra
Executive Engineer
SEIAA
Bhopal (Madhya Pradesh).


Dr. Yogendra Kumar Saxena
Scientist 'C'
Central Pollution Control Board
Regional Directorate, Bhopal
(Madhya Pradesh)


Shri H. K. Tiwari
Regional Officer
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Regional Office, Ujjain
(Madhya Pradesh).

Item No. 04

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**
(Through Video Conferencing)

Original Application No. 50/2024(CZ)

Prabhat Mohan Pandey

Applicant(s)

Vs.

Union of India & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: 02.05.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Rohit Sharma, Adv.
Mr. Faizan Khan, Adv.

For Respondent(s):

Mr. Pranjal Pandey, Adv.
(for Ms. Parul Bhadoria, Adv.)
Mr. Yadvendra Yadav, Adv.
Mr. Om Shankar Shrivastava, Adv.
Dr. Sapna Aggarwal, Adv.
Mr. Shivanshu Singh, Adv.

ORDER

1. Learned counsel for applicant Mr. Rohit Sharma has submitted that another application i.e. original application no. 66/2024 is also pending on the same point of issues. A committee was constituted in O.A. No. 50/2024 listed today i.e. 02.05.2024 as mentioned in para 5 is directed to examine the matter relating to O.A. No. 66/2024 and to submit the report. The present original application is also be listed on 09.07.2024 with O.A. No. 66/2024.
2. Rest of the respondents are directed to submit their reply before the next date of listing.

List it on **09th July, 2024**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

02nd May, 2024
O.A No. 50/2024(CZ)
PN



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
No: / SEIAA/2024
Date:

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के ओ.ए. क्र. 50/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के परिपालन में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु नोडल एजेंसी रहेगी। जिसमें SEIAA की ओर से सदस्य प्रतिनिधि हेतु श्री राजेश मिश्रा जी (कार्यपालन यंत्री SEIAA) को नामांकित किया जाता है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Endt No. 3483 / SEIAA/2024
Copy to:

Dated:- 28/5/24

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र. की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. कलेक्टर देवास (म.प्र.), की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, SEAC
4. लेखाधिकारी, एफको, भोपाल
5. प्रभारी अधिकारी, SEIAA

FE (SEAC)

श्री राजेश मिश्रा
37/5/24

सदस्य सचिव

State Level Expert Appraisal Committee

Office at M.P. Pollution Control Board

Paryavaran Parisar, E-5 Sector, Arera Colony, Bhopal (M.P.) – 462016

☎: (0755) 2466 735 E-mail ID: seacofmadhyapradesh@rediffmail.com

No.
प्रति,

/SEAC/Gen./2024

Bhopal, date / /2024

डॉ०. रुबिना चौधरी, सदस्य,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (MPSEAC),
फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड-इंदौर
जिला -इंदौर (म.प्र.)।


विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के ओ.ए. क्र०. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/03/2024 के परिपालन बाबत।

संदर्भ:- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA), का पत्र क्रमांक 3484 दिनांक 28/03/2024.

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) से प्राप्त पत्र (छायाप्रति एवं ओ.ए. 50/2024 की प्रति संलग्न है) के परिपेक्ष्य में समिति की सदस्य डॉ०. रुबिना चौधरी को समिति की ओर से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ओ.ए. क्र०. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डेय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/03/2024 के परिपालन में प्रस्तावित संयुक्त समिति का सदस्य नामांकित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(ए०.ए०. मिश्रा)

सदस्य सचिव


Bhopal, date 05/04/2024


Endt. No. 83 SEAC/Gen./2024
प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA), एफको, पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. डॉ०. रुबिना चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, (MPSEAC), फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड-इंदौर, जिला -इंदौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री राजेश मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, (MPSEIAA), एफको, भोपाल (म.प्र.) मो०. न०. 9179218282, 7974676714 की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

DE(L)

SEAC Gen. letter





20

CM-13012/9/2024-RD Bhopal/16996/2501-2508

दिनांक: 28 मार्च, 2024

प्रति,

सदस्य सचिव
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल - 462016

Most urgent
NGT Case

संशोधित आदेश

विषय: NGT OA No. 50/2024(CZ) "Prabhat Mohan Pandey Vs. Union of India & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।

संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक: 12/03/2024


महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक: 12/03/2024 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-मध्य प्रदेश, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।

आदेश के अनुसार उक्त समिति द्वारा Factual & Action Taken Report तैयार कर तीन सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रकरण में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 02/05/2024 को नियत की गई है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सैना, वैज्ञानिक 'ग' (मोबाइल नं.- 9425677776, ईमेल- dryksaxena.cpcb@gov.in) को नामित किया गया है। अनुरोध है कि उपरोक्त हेतु निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ताकि निर्धारित तिथि के पूर्व नोडल एजेंसी द्वारा Factual & Action Taken Report माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।


भवदीय,


(पी. जगन)
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- डिवीजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बो., दिल्ली
 - क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., उज्जैन
 - डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सैना, वैज्ञानिक 'ग', के.प्र.नि.बो., भोपाल
- की ओर कृपया सूचनार्थ।
- की ओर कृपया सूचनार्थ एवं
- आवश्यक कार्यवाही हेतु।


क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डायरेक्ट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

PH

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

कमांक 1829 /विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24,
प्रति,

भोपाल, दिनांक /24,
10 JUN 2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उज्जैन।

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच के प्रकरण कमांक 50/2024 एवं 66/2024 (प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध भारत संघ व अन्य) द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।


उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 50/2024 व 66/2024 के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश का अवलोकन हो। आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

Learned counsel for applicant Mr. Rohit Sharma has submitted that another application i.e. original application no. 66/2024 is also pending on the same point of issues. A committee was constituted in O.A. No. 50/2024 listed today i.e. 02.05.2024 as mentioned in para 5 is directed to examine the matter relating to O.A. No. 66/2024 and to submit the report. The present original application is also be listed on 09.07.2024 with O.A. No. 66/2024.

Rest of the respondents are directed to submit their reply before the next date of listing. List it on 09th July, 2024

अतः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार प्रकरण कमांक 50/2024 में गठित संयुक्त समिति को प्रकरण कमांक 66/2024 में भी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश संबंधी आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त गठित समिति के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, मंडीदीप से समन्वय कर दोनो प्रकरणों में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 09.07.2024 को नियत है।

संलग्न :- एनजीटी आदेश।


(ए.पी. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- 1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मंडीदीप की ओर सूचनार्थ। प्रकरण कमांक 50/2024 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन को नामित किया गया है। संयुक्त गठित समिति में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण(सिया) की ओर से श्री राजेश मिश्रा, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(सेक) की ओर से डॉ. रुबिना चौधरी तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डॉ. योगेंद्र कुमार राक्सैना नामित किये गये हैं। (प्रति संलग्न) प्रकरण आपके कार्यक्षेत्र का है, अतः संबंधितों से समन्वय कर निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदन माननीय एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,



17, भरतपुरी, उज्जैन दूरभाष कार्यालय-0734-2510984

ई-मेल romppcb_ujjain@yahoo.co.in

क्रमांक- 805 / प्रनिबो / क्षेत्राउ / 2024
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 18/06/2024

श्री प्रभात मोहन पाण्डेय,

एप्लीकेंट,

एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50/2024 (CZ)

ई-मेल nluadvrohitsharma@gmail.com

विषय :- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50/2024 (CZ) में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित जांच दल द्वारा निरीक्षण किये जाने की सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक-50/2024 (CZ) में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित जांच दल द्वारा दिनांक 20 जून, 2024 को नेमावर एवं दिनांक 21 जून, 2024 को हरदा में स्थल निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। कृपया निर्धारित तिथि को आपकी उपस्थिति हेतु अनुरोध है।





(एच.के.तिवारी),
क्षेत्रीय अधिकारी उज्जैन

(Date- 21/06/2024)

ATTENDANCE SHEET

The site visited by the officials on dated 21/06/2024 in compliance of orders passed in Hon'ble NGR Original Application No. 66/2024 (C2)

(Prabhat Mohan Pandey v/s Union of India & others)

S.No.	Name of officers	Designation & Mob No.	Signature
1.	Rajesh Kumar Mishra	Executive Engineer 9179218282	
2.	Dr. Yogendra Kumar Saxena	SCIENTIST-L	
3.	Abhay Sarnaf	R.O. Mandi doop	
4.	Dr. Rubina Chaudhry	Prof. SGTES DAVV, Indore	21/06/24. 
5.	A.K. Surani RO	R.O.-M.-P.P.C.B Ujjain (MP) 9425005578	 21/6/2024
6.	R. P. Kamlesh	AMO Harda 9495463630	 21.6.24

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022
का कार्यवाही विवरण

- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. nil दिनांक 10.2019 (विद्यता 09.09.2020 तक) की प्रति एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर का आदेश क्र. 203 दिनांक 25.03.2021 अनुसार लीज की विद्यता 24.03.2031 तक है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा Email दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ अक्षांश देशांश सहित प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अभिप्रमाणित कराकर एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकापी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

नीतिगत निर्णय -


राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण एवं ToR हस्तांतरण के समस्त प्रकरण अब परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किये जावें। इन्हें अनावश्यक रूप से SEIAA की बैठक में न रखा जाये, जिससे प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके।

9. प्रकरण क्र 8565/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमन सिंह आत्मज श्री शिव सिंह, निवासी 41 चिकासी हमीरपुर, जिला हमीरपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.781 हेक्टेयर, खसरा 491 ग्राम लौसी, तहसील गारिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 594 वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 एवं उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. P-2/192/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 66000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 22.00 हेक्टेयर, खसरा 1,1 ग्राम - उछान, तहसील - हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. P-2/186/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम - अजनई, तहसील - हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

19. प्रकरण क्र. P-2/193/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – मालपोन, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. P-2/185/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – गोयत, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. P-2/187/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – मनोहरपुरा, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. P-2/188/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – हांडिया, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. P-2/190/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – लछौरा, तहसील – टिमरनी जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 11294/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री बाला मेहरा, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

(म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 18026 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.650 हेक्टेयर, खसरा 1488 ग्राम - महोबा डामरौन, तहसील - पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो-बीच एक रपटा रोड़ ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side*" अनुसार रपटा रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. P-2/191/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 180000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम - छिपानेर, तहसील - टिमरनी जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

26. प्रकरण क्र. 11291/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री बाला मेहरा, अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.10 हेक्टेयर, खसरा 181 ग्राम - छिन्तीपुर, तहसील - करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 300 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज एवं 186 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side*" अनुसार रोड़ ब्रिज एवं स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. P-2/195/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 72000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 ग्राम - गोलूमालगुजारी - बी, तहसील - हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024
का कार्यवाही विवरण

इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. P-2/189/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम पछौरा, तहसील - टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 11296/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री पुरुषोत्तम पटेरिया, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 16500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.50 हेक्टेयर, खसरा 194, ग्राम कुम्हरा, तहसील - मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 95 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

17. Case No P2/192/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 22.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - Uchan, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 66000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Authorized Person - Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 22.00 Ha.			
स्थल	Village - Uchan & Tehsil - Handiya District - Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (ऊँचान) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 29.09.2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 29.09.2015 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 13336/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 29.09.2015 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नयापुरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 8 पर दर्ज है।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
---	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज मई 2021 के आधार पर रेत उपलब्धता का आँकलन किया गया। खनन हेतु 5.1 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 255000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 25500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	57,000	5,000
3	Plantation (6120 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,59,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	--
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	11,81,000	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम उच्चान के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2040 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खम, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लमोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,020

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,020
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4,080
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, वीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

18. Case No P2/186/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - AAJNAI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 8.0 Ha.			
स्थल	Village – Ajnai & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (अजनाई) दिनांक - 2.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1191/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजना जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 11.09.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.8 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 48000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 300 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	30,000	5,000
3	Plantation (7,632 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,72,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		12,77,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम अजनाई के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण	2,00,000

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

करवाया जाएगा

04.निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2544 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लमोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1272
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1272
3	आम पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5088

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/मेलफ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आम पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

19. Case No P2/193/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - MALPONE, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 06.00 Ha.			
स्थल	Village - Malpone & Tehsil - Handiya District - Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मलपोन) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1323/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेसवा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 04.10.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 5 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 3.76 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 350 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	35,000	5,000
3	Plantation (4512 Plants will be planted & Distribution during the first year).	3,38,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	--
Labour Welfare			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	10,48,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. एस. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मालपोन के सी.एस.आर .फण्ड के तहत स्कूल की बाउण्ड्रीवाल, हैंडपंप, नाली, रोड के लिए धनराशी दी जायेगी।	3,00,000

14. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1404 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बोंस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	752

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	752
3	आम पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,008

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आम पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No P2/185/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - GOYAT, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 48000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 8.0 Ha.			
स्थल	Village – Goyat & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोयत) दिनांक - 2.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1193/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नाँदरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 06.09.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 06 के सरल क्रमांक- 16 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 2.26 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 22600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 22600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
 2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
 3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
 5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 9.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 500 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	50,000	5,000
3	Plantation (2712 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,03,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	9,28,400	2,04,000

3. CSR Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोयत के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 904 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	452
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शामकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	452
3	आम पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1808

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, वीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

21. Case No P2/194/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

(सरकारी / निजी)	6.00 Ha.			
स्थल	Village – Golomalgujari B & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोलमालगुजरी बी) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1305/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगरुल जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 4 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि स्वीकृत माइनिंग प्लान के कोआर्डिनेट के अनुसार एवं उपलब्ध गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का लगभग पूर्ण भाग पानी में डूबा हुआ है । अतः वर्तमान में रेत उपलब्धता का ऑकलन हेतु डोन फोटोग्राफ एवं जिओटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाय । समिति ADS जारी करने की अनुशंसा करती है ।

अनुशंसा - गूगल ईमेज के अनुसार खदान का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है । इसकी वर्तमान स्थिति की ड्रोन विडियो ग्राफी एवं जिओटेग फोटो प्रस्तुत करें

22. Case No P2/187/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

**Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - MANOHARPURA, Tehsil - Handiya, District -
Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.			
स्थल	Village – Manoharpura & Tehsil – Handiya District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का दाम	नर्मदा नदी पर है			

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मनोहरपुरा) दिनांक - 7.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1189/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 08.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुरजना जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.09.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.57 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 660 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	66,000	5,000
3	Plantation (5484 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,11,300	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestrations			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	11,52,300	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3,00,000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मनोहरपुरा में घाट निर्माण कार्य एवं घाट सौन्दर्यकरण तथा महिलाओ के लिए चेंजिंग रूम हेतु ग्राम पंचायत को सहायता	3,00,000

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1828 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3650 वृक्षों का वितरण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	914
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, मीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	914
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, मीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3650
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No P2/188/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 20.00 Hectare, Khasra No.- 1_1 in Village - HANDIYA, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 60000 cum per annum

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 20.00 Ha.			
स्थल	Village – Handiya & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण डिया ई.सी. का विवरण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (हण्डिया) दिनांक - 05.01.2024			
	नहीं			

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

(यदि लागू हो)	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1315/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हृण्डिया जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.08.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 25.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 8.40 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 42000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकाली परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

ANNUAL EMP COST

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
I(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
I(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 770 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	77,000	5,000
3	Plantation (10080 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,56,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		15,08,000	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
------------	------------------------------------	---------------

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1	ग्राम हण्डिया के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000
---	---	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3650 वृक्षों का वितरण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1,680
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, वेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	1,680
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाता	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, वेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	6,720

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाडी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No 11293/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sirsona Sand Quarry Deposit in an area of 5.30 ha. (34980 cum per year) (Khasra No. 157, 158), Village-Sirsona, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.30 Ha.			
स्थल	Village – Sirsona & Tehsil – Karera, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ	हाँ		
नदी का नाम	बरुआ नाला पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट - सिरसोना दिनांक - 05.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 34,980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 858/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिरसोना जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 14.04.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			
सिया में ईसी हेतु प्रकरण	नया प्रोजेक्ट			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक- 1 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि गूगल ईमेज मई 2022 के अनुसार खनन लीज क्षेत्र पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है और लीज क्षेत्र से 209 मीटर पूर्व दिश में ब्रिज है । अतः 500 मीटर का सेटबैक देने पर खनन क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में एवं विगत 03 वर्ष का उत्पादन की जानकारी एवं जियोटेग फोटो उपलब्ध कराये जाये ।
अनुशंसा- समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत करने हेतु ADS जारी करने की अनुशंसा करती है ।

25. Case No P2/190/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - LACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 30000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 10.00 Ha.
स्थल	Village - Lachora & Tehsil - Timarni, District - Harda (M.P)

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (लछोरा) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है ।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1319/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लद्धोरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 03.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 06 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.45 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 22250 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 22250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 370 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	37,000	5,000
3	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
4	Plantation (5340 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,00,500	20,000

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

5	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	11,12,500	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 60000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम लच्छोरा के शासकीय स्कूल के विकास हेतु	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1780 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3560 वृक्षों का वितरण:-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	890
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल,	890

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

	एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,560
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

26. Case No 11294/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Mahowadamron Sand Quarry Deposit in an area of 12.650 ha. (18026 cum per year) (Khasra No. 1488), Village-Mahoba Damron, Tehsil-Pichhore, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 12.650 Ha.			
स्थल	Village – Mahowadamron & Tehsil – Pichhore, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	पारौच नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट – महोवा डामरौन दिनांक - 05.02.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 18,026. घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 857/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महोवा डामरौन जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10 के सरल क्रमांक- 09 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 2.71 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 6775 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 6775 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1430m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,43,000	2,000
3	Plantation (3252 plants will be planted & Distribution during the first year)	2,43,900	40,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 13 Labour @ 500 Rs. = 6,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 13	Nil	13,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 13 labor @1000 Rs.	13,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		7,94,900	3,54,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 10000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम महोबाडामरौन के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के हेतु	10,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3,252 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	3,252
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/मेलफ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

27. Case No P2/191/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 1 in Village - CHHIPANER, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 180000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailesh Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailesh Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 15.00 Ha.			
स्थल	Village - Chhipaner & Tehsil - Timarni, District - Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (छिपानेर) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1325/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1235/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिपनेर जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 01 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का आँकलन किया गया। खनन हेतु 11.17 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 180,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 180,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 17.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 890 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	89,000	5,000
3	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
4	Plantation (13404 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,05,300	20,000
5	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	Nil
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	17,69,300	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.50 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम छिपानेर के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,50,000

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4460 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8930 वृक्षों का वितरण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2,230
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2,230
3	आम पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	8,930

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आडे-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

28. Case No 11291/2024 Shri Bala Mehra, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chhitipur Sand Quarry Deposit in an area of 5.10 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 181), Village-Chhitipur, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person - Balaram Mehra) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Balaram Mehra			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 5.10 Ha.			
स्थल	Village – Chhitipur & Tehsil – Karera, District – Shivpuri (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

नदी का नाम	बिलरउ नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट - छितीपुर दिनांक - 05.02.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 863/खनिज/2023-24 शिवपुरी दिनांक 01.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छितीपुर जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09 के सरल क्रमांक- 02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 12.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 4.21 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 10000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

7. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.12 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.35 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 280m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,000	5,000
3	Plantation (5,052 plants will be planted & Distribution during the first year)	3,78,900	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
Labour Welfare			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 11 Labour @ 500 Rs. = 5,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 11	Nil	11,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 11 labor @1000 Rs.	11,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		8,12,900	3,35,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बघेलपुरा स्कूल का हैंडपंप की मरम्मत कराने हेतु।	50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5,052 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5,052

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

29. Case No P2/195/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.00 Hectare, Khasra No.- 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 in Village - GOLOMALGUJARI-B, Tehsil - Handiya, District - Harda (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 8.00 Ha.			
स्थल	Village – Golomalgujari A & Tehsil – Handiya, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

स्थिति				
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (गोलमालगुजरी अ) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1307/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मंगरुल जला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 20.09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट			

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 3 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 27.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है । पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 1.09 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 16350 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 16350 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 600 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	60,000	5,000
3	Plantation (1308 plants will be planted & Distribution during the first year).	98,100	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	Speed Breaker till Main Road	25,000	Nil
6	Soil Conservation	50,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

13	Accidental Cause	25,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		5,83,100	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.5 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गोलमालगुजरी – अ के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 436 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 870 का वितरण:-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	218
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाडी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	218
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	870

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/मेलफ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, वीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, ब्राँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No P2/189/24 KAILASH PANDEY, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 15.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - PACHORA, Tehsil - Timrani, District - Harda (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 19.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd. (Authorized Person – Kailash Prasad Pandey) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Kailash Prasad Pandey
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

(सरकारी / निजी)	15.00 Ha.			
स्थल	Village – Pachora & Tehsil – Timarni, District – Harda (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (पचौरा) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023-24 हरदा दिनांक 26.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।			

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

	(यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1333/खनिज/2023 हरदा दिनांक 26.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पंचौरा जिला हरदा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 02.10.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 05 के सरल क्रमांक- 12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 24.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का अधिक भाग पानी में डूबा हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन की मात्रा प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपलब्ध गूगल ईमेज के आधार पर रेत उपलब्धता का ऑकलन किया गया। खनन हेतु 11.69 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है एवं डी.एस.आर. के अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 45,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।

754—A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी तथा भूमि संरक्षण एवं खेतों में कृषि की हानि न हो इसके उपाय किये जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन प्रारंभ करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. परिवहन के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.04 लाख प्रति वर्ष।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 660 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	66,000	5,000
3	Plantation (14028 plants will be planted & Distribution during the first year).	10,52,100	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000

754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024

5	Speed Breaker till Main Road	50,000	Nil
6	Soil Conservation	1,00,000	Nil
Carbon Sequestration			
7	Water harvesting recharge structure of the river	2,50,000	-
Labour Welfare			
8	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
9	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
10	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x30	Nil	30,000
11	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	5,000
12	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
13	Accidental Cause	50,000	Nil
Solid Waste Management			
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
15	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	17,93,100	2,04,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 25000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स. आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम पंचौरा के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	25,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 9350 का वितरण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ

**754-A राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मई 2024**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	2,330
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2,330
3	आम पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	9,350
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किमी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आम पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

31. Case No. 11296/2024 Shri Purushottam Pateriya, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Kumharra Sand Quarry in an area of 5.50 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 194), Village-Kumharra, Tehsil- Mungaoli, District-Ashok Nagar (MP) [450427]

जिला हरदा रेत खदान का विवरण

क्रं.	रेत खदान का नाम	लोक सुनवाई दिनांक	समय
1.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम पछौरा, तहसील टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 15.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 45,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	24/04/2024	प्रातः 11:00 बजे
2.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम छिपानेर, तहसील टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 15.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 1,80,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	24/04/2024	दोपहर 12:00 बजे
3.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम लछौरा, तहसील टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 30,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	24/04/2024	दोपहर 02:00
4.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम मनोहरपुरा, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 60,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	25/04/2024	प्रातः 11:00 बजे
5.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम अजनई, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 8.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 48,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	25/04/2024	दोपहर 12:00 बजे
6.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम गोयत, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 8.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 48,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	25/04/2024	दोपहर 01:00 बजे
7.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम हाँडिया, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 20.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 60,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	25/04/2024	दोपहर 03:00 बजे
8.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम मालपोन, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 6.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 36,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	27/04/2024	प्रातः 11:00 बजे
9.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1 से 6 एवं 47, ग्राम गोलामालगुजरी-ब,	27/04/2024	दोपहर 12:00 बजे

	तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 6.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 36,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु		
10.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1 से 6 एवं 47, ग्राम गोलामालगुजरी-अ, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 8.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 72,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	27/04/2024	दोपहर 01:00
11.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 1/1, ग्राम उचान, तहसील हाँडिया, जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 22.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 66,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	27/04/2024	दोपहर 03:00 बजे
12.	मेसर्स द एम.पी. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि., रेत खदान, खसरा नं. 70/1, 70/4, ग्राम सिगोन, तहसील हाँडिया जिला हरदा (म.प्र.) लीज क्षेत्रफल 21.00 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 63,000.00 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु	14/06/2024	प्रातः 11:00 बजे

Hon'ble NGT OA NO. 50/2024 & 66/2024

S.No	Envirnontental Issues	Reply
1.	How the MP State Mining Corporation Floated tenders for these 16 Sand Mines which are submerged in water throughout the year?	विगत 15 वर्षों से म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल के द्वारा नीलामी में रेत खदानों का आवंटन किया जाता रहा है। जिसके परिपेक्ष्य में वर्ष 2023-24 में भी रेत खदानों का टेंडर विधिवत जारी किया गया। यह कहना सही नहीं है कि वर्ष भर रेत खदानें डूबी रहती हैं रेत खदानों के आंशिक भाग में पानी आ जाता है।
2.	Weather MP State Mining Corporation and the District administration of Harda promoting illegal excavation of sand by way of unauthorized in-stream mining, as with the situation, the contractor appointed cannot legally procure even a single cubic meter of sand from the allocated Mining leases?	यह कहना सही नहीं है कि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। in-stream mining नहीं की जाती है। ई.सी. प्राप्त नहीं होने से रेत खदानें बंद हैं।
3.	Did the contractor actually carried out the spot verification before bidding for these 16 sand Mining Leases in the District of Harda?	म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल के द्वारा विधिवत रेत खदानों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। जिसमें ठेकेदार को रेत खदान के संबंध में रेत खदानों की जानकारी से अवगत कराया जाता है।
4.	Were the Non- applicants not aware of the fact that in-stream mining lowers the stream bottom, which may lead to bank erosion and depletion of the sand in the strembed which causes the deepening of rivers and estuariesm and leads to the enlargement of river mouths?	जिले में in-stream mining पूर्णतः बंद है। अतः नदी के किनारों पर ईरोजन होने का प्रश्न ही नहीं है। नदी का पाट प्राकृतिक रूप से यथावत है।
5.	Has the District Survey Report of Harda been prepared after conducting actual surveys or is it prepared just as a formality being an eyewash?	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तकनीकी टीम द्वारा ऑकडे एकत्रित कर बनाई गई है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्य क्रियान्वयन किया जाता है।
6.	Can MPSEIAA consider the applications for Environmental Clearance fo these 16 Mining Leases without analyzing the actual position of these Mining Lease as these areas are submerged in water through the year?	रेत खदानों में MPSEIAA द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने उपरान्त ही खनन संक्रिया की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि सभी 15 रेत खदानें डूब क्षेत्र में हैं।
7.	Is there an utter violation of Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcment & Monitoring Guidelines for sand Mining, 2020 in the instant case?	नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

नोट:- 1. हरदा जिले में लगभग 15 वर्षों से रेत खदानें संचालित रही हैं। जिसमें शासन को प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है।

2. अवैध उत्खनन/परिवहन में वर्ष 2020-21 से आज दिनांक तक कुल दर्ज 509 प्रकरणों में राशि रूपये तथा अर्थदंड राशि 3,30,21,069/- अधिरोपित कर नियमानुसार कार्यवाही की गई।


सहा. खनिज अधिकारी
जिला हरदा (म.प्र.)